

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

विवादीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डावी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-11/2019 प्रार्थना पत्र

श्री रतनलाल पिता रामनाथ नाथ, उम्र बालिग निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री गोपी लाल पिता छीतर गूजर, उम्र बालिग निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा
 - 2-श्री मोहनलाल पिता छीतर गूजर, उम्र बालिग निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा
 - 3-श्री खेमा पिता केला गूजर, उम्र बालिग निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा
 - 4-श्री देवा पिता केला गूजर, उम्र बालिग निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा
 - 5-श्री रतन पिता नंदा भील, उम्र बालिग निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
 - 6-श्री गोपीलाल पिता रामा गूजर, उम्र बालिग निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुन्दली पटवार गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1008/1 रकबा 1 बीघा 15 आराम मूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.1.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे प्रार्थी पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 7 को प्रार्थी ही मर्तवा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा वाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ अतः

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर कि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1008/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पांसल को -रूपये (दो सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस गण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में गढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डावी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा